भारत सरकार

इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 4107

जिसका उत्तर 12 अगस्त, 2026 को दिया जाना है।

21 श्रावण, 1948 (शक)

केंद्र सरकार के डिजिटल प्लेटफॉर्म की साइबर सुरक्षा तैयारी

4107. श्री राजमोहन उन् नीथनः

क्या **इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने केन्द्र सरकार के डिजिटल प्लेटफार्मों और नागरिक सेवा पोर्टलों की साइबर सुरक्षा तैयारियों की समीक्षा की है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ख) विगत तीन वर्षों के दौरान साइबर सुरक्षा की घटनाओं की संख्या का ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा उन पर क्या सुधारात्मक उपाय किए गए हैं;
(ग) क्या साइबर सुरक्षा अवसंरचना और डिजिटल लचीलापन को सुदृढ़ करने के लिए केरल सहित राज्यों को कोई सहायता प्रदान की गई है; और
(घ) साइबर सुरक्षा के बारे में जागरूकता बढ़ाने, आंकड़ों की सुरक्षा और सुरक्षित डिजिटल शासन के लिए सरकार द्वारा किए गए उपायों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री

(श्री जितिन प्रसाद)

(क) से **(घ):** सरकार एक खुला, सुरक्षित, विश्वसनीय और जवाबदेह साइबर स्पेस सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है। केंद्र सरकार के डिजिटल प्लेटफॉर्म और नागरिक सेवा पोर्टलों की साइबर सुरक्षा तैयारियों को सुदृढ़ करने, डिजिटल अवसंरचनाओं की सुरक्षा करने और साइबर लचीलेपन को बढ़ाने के लिए कई कानूनी, तकनीकी और प्रशासनिक नीतिगत उपाय लागू किए गए हैं।

सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 की धारा 70बी के तहत साइबर सुरक्षा घटनाओं पर प्रतिक्रिया देने के लिए भारतीय कंप्यूटर आपात प्रतिक्रिया दल (सर्ट-इन) को राष्ट्रीय एजेंसी के रूप में नामित किया गया है। सर्ट-इन को सूचित की गई और ट्रैक की गई सूचना के अनुसार, पिछले तीन वर्षों के दौरान देखी गई साइबर सुरक्षा घटनाओं की कुल संख्या नीचे दी गई है –

वर्ष	घटनाओं की संख्या
2023	15,92,917
2024	20,41,360
2025	29,44,248

सरकार द्वारा प्रबंधित प्लेटफार्मों से संबंधित घटनाओं सहित साइबर सुरक्षा घटनाओं को देखने पर, सर्ट-इन संबंधित संगठनों को उपचारात्मक उपायों की सलाह देता है और प्रभावित संगठनों, सेवा प्रदाताओं, संबंधित क्षेत्र के नियामकों के साथ-साथ कानून प्रवर्तन एजेंसियों के साथ घटना प्रतिक्रिया उपायों का समन्वय करता है।

सरकार ने देश में साइबर हमलों से निपटने के लिए एक राष्ट्रव्यापी एकीकृत और समन्वित प्रणाली को संस्थागत रूप दिया है। इन उपायों में, अन्य बातों के साथ-साथ, निम्नलिखित शामिल हैं -

क. विभिन्न एजेंसियों के बीच साइबर सुरक्षा से संबंधित समन्वय सुनिश्चित करने के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय (एनएससीएस) के तहत राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा समन्वयक (एनसीएससी) की स्थापना की गई है।

ख. सर्ट-इन द्वारा कार्यान्वित राष्ट्रीय साइबर समन्वय केन्द्र (एनसीसीसी) साइबर सुरक्षा खतरों का पता लगाने के लिए साइबर स्पेस की जांच करता है और उचित कार्रवाई करने के लिए संबंधित संगठनों, राज्य सरकारों और स्टेकहोल्डर एजेंसियों के साथ खतरे की आसूचना का आदान-प्रदान करता है।

ग. महत्वपूर्ण सूचना अवसंरचना (सीआईआई) के संरक्षण के लिए सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 की धारा 70 ए के तहत राष्ट्रीय महत्वपूर्ण सूचना अवसंरचना संरक्षण केंद्र (एनसीआईआईपीसी) की स्थापना की गई है।

घ. एनसीआईआईपीसी लगभग वास्तविक समय पर खतरे की खुफिया जानकारी और स्थितिजन्य जागरूकता प्रदान करता है, महत्वपूर्ण सूचना अवसंरचना (सीआईआई)/संरक्षित प्रणाली (पीएस) संस्थाओं को नियमित अलर्ट और सलाह जारी करता है, समय-समय पर सीआईआई/संरक्षित प्रणालियों की सुभेद्यता और जोखिम मूल्यांकन करता है और संबंधित संस्थाओं को प्रतिक्रिया प्रदान करता है।

ड. साइबर स्वच्छता केंद्र (सीएसके)

- सर्ट-इन द्वारा प्रदान की जाने वाली एक नागरिक-केंद्रित सेवा, जो स्वच्छ भारत के दृष्टिकोण को साइबर स्पेस तक विस्तारित करती है।
- यह बॉटनेट क्लीनिंग एंड मैलवेयर एनालिसिस सेंटर है और दुर्भावनापूर्ण कार्यक्रमों का पता लगाने में मदद करता है और इसे हटाने के लिए निःशुल्क टूल प्रदान करता है।
- यह नागरिकों और संगठनों के लिए साइबर सुरक्षा युक्तियाँ और सर्वोत्तम अभ्यास भी प्रदान करता है।

च. सेक्टोरल कंप्यूटर सुरक्षा घटना प्रतिक्रिया दल (सीएसआईआरटी)

- बैंकिंग और वित्तीय क्षेत्र में साइबर घटनाओं की प्रतिक्रिया के समन्वय हेतु सर्ट-इन के अंतर्गत वित्त क्षेत्र में सीसर्ट (सीसर्ट-फिन) मई 2022 से कार्यरत है।
- सीएसआईआरटी-पावर सितंबर 2024 से सर्ट-इन की विस्तारित शाखा के रूप में विद्युत क्षेत्र की संस्थाओं के भीतर साइबर सुरक्षा मुद्दों के समन्वय के लिए कार्यरत है।

छ. सर्ट-इन सक्रिय खतरे को कम करने के लिए विभिन्न क्षेत्रों के संगठनों के साथ अनुरूप अलर्ट साझा करने के लिए एक स्वचालित साइबर थ्रेट इंटेलिजेंस एक्सचेंज प्लेटफॉर्म संचालित करता है।

ज. सर्ट-इन ने सभी मंत्रालयों/विभागों, राज्य सरकारों और उनके संगठनों द्वारा कार्यान्वयन के लिए साइबर हमलों और साइबर आतंकवाद का मुकाबला करने के लिए एक साइबर संकट प्रबंधन योजना (सीसीएमपी) तैयार की है।

झ. साइबर सुरक्षा मॉक ड्रिल सर्ट-इन द्वारा नियमित रूप से आयोजित किए जाते हैं, ताकि साइबर सुरक्षा स्थिति और सरकारी और महत्वपूर्ण क्षेत्रों में संगठनों की तैयारियों का आकलन किया जा सके।

ञ. सर्ट-इन ने ऑडिटिंग के लिए 'सूचना सुरक्षा लेखा परीक्षा संगठनों' का एक पैनल बनाया है, जिसमें कंप्यूटर सिस्टम, नेटवर्क, वेबसाइटों और सरकार के विभिन्न संगठनों और महत्वपूर्ण क्षेत्रों के अनुप्रयोगों की भेद्यता मूल्यांकन और प्रवेश परीक्षण शामिल है। सूचना सुरक्षा सर्वोत्तम प्रथाओं के कार्यान्वयन का समर्थन और लेखा परीक्षा करने के लिए 237 सूचना सुरक्षा लेखा परीक्षा संगठनों को सर्ट-इन द्वारा सूचीबद्ध किया गया है।

ट. सभी सरकारी वेबसाइटों और एप्लीकेशनों की होस्टिंग से पहले साइबर सुरक्षा के संबंध में ऑडिट किया जाता है। वेबसाइटों और अनुप्रयोगों की ऑडिटिंग होस्टिंग के बाद भी नियमित आधार पर की जाती है।

ठ. सर्ट-इन कंप्यूटर, नेटवर्क और डेटा की सुरक्षा के लिए नवीनतम साइबर खतरों/कमजोरियों और प्रतिउपायों के बारे में अलर्ट और सलाह जारी करता है।

ड. सरकार ने डिजिटल वैयक्तिक डेटा संरक्षण अधिनियम, 2023 के तहत एक वैधानिक तंत्र तैयार किया है। इसके तहत बनाए गए नियम यह सुनिश्चित करने के लिए बनाए गए हैं कि कानून प्रवर्तन उद्देश्यों के लिए नागरिकों के डिजिटल व्यक्तिगत डेटा को साझा करना और संसाधित करना कानूनी, सुरक्षित और जवाबदेह तरीके से किया जाए।

ढ. **सूचना सुरक्षा शिक्षा और जागरूकता (आईएसईए) कार्यशालाएं**

- इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (एमईआईटीवाई) सूचना सुरक्षा में मानव संसाधन सृजित करने और आम लोगों के बीच साइबर स्वच्छता और साइबर सुरक्षा के विभिन्न पहलुओं पर सामान्य जागरूकता पैदा करने के लिए आईएसईए परियोजना को लागू कर रहा है।
- देश भर में 6,650 जागरूकता कार्यशालाएं आयोजित की गई हैं, जिनमें छात्रों, शिक्षकों, कानून प्रवर्तन कर्मियों, सरकारी अधिकारियों और आम जनता सहित 11.37 लाख से अधिक प्रतिभागी शामिल हैं। इसमें केरल में आयोजित 70 जागरूकता कार्यशालाएं शामिल हैं, जिनमें 9481 प्रतिभागियों को शामिल किया गया
- इसके अलावा, पुस्तिकाओं, लघु वीडियो, पोस्टर, ब्रोशर, बच्चों के लिए कार्टून कहानियों आदि के रूप में बहुभाषी जागरूकता सामग्री प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक माध्यम, सोशल मीडिया और www.isea.gov.in तथा https://staysafeonline.in/ के माध्यम से प्रकाशित और प्रसारित की गई।

ण. **राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा जागरूकता गतिविधियां**

- सरकार देश भर में नागरिकों के साथ-साथ तकनीकी साइबर समुदाय के लिए कार्यक्रमों और गतिविधियों का आयोजन करती है। इनमें से कुछ में शामिल हैं:
- प्रत्येक वर्ष अक्टूबर में राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा जागरूकता माह (एनसीएसएएम)
- फरवरी के दूसरे मंगलवार को सुरक्षित इंटरनेट दिवस
- स्वच्छता पखवाड़ा (1-15 फरवरी), और
- साइबर जागरूकता दिवस (सीजेडी) हर महीने के पहले बुधवार को

त. **सर्ट-इन द्वारा प्रशिक्षण कार्यक्रम**

- सर्ट-इन सरकारी, सार्वजनिक और निजी संगठनों में साइबर सुरक्षा कार्यबल को कौशल प्रदान करने के लिए उद्योग भागीदारों के सहयोग से साइबर सुरक्षा प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करता है। वर्ष 2025 और 2026 (जून तक) के दौरान केरल के क्रमशः 786 और 411 प्रतिभागियों सहित 20799 और 12109 प्रतिभागियों को कवर करते हुए 32 और 13 प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए
- सर्ट-इन नियमित रूप से अपनी आधिकारिक वेबसाइटों और सोशल मीडिया हैंडल जैसे फेसबुक, एक्स (ट्विटर), इंस्टाग्राम, यूट्यूब और लिंक्डइन के माध्यम से साइबर सुरक्षा हमलों और धोखाधड़ी और रोकथाम उपायों पर इंटरनेट उपयोगकर्ताओं को संवेदनशील बनाने के लिए सुरक्षा और सुरक्षा युक्तियों और जागरूकता पोस्टर, इन्फो-ग्राफिक्स और वीडियो साझा कर रहा है।
